

डिक्री एवं मुकदमे ईबत्तादाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 201/2025

नवजोत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादी

बनाम

- 1 गुरदेव सिंह दत्तक पुत्र जलमेल कौर जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 जसकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 सुखचरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 बलकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 5 स्वर्णजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी सतिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी
भुलरवाला तहसील लम्बी जिला श्री मुक्तसर साहिब
- 6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के
सुमक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू
वकील वादी व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रति स. 1 ता 5 मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 11 एम.
जे.डी. खाता स. 23/14 खाता गुरदेव सिंह ज.स. 2072-75 में प्रति स. 1 के
नाम दर्ज कुल 0.278 है0 व चक 10 एम.जे.डी. खाता स. 34/90 खाता गुरदेव
सिंह ज.स. 2070-73 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी का
वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त खातो से प्रति स. 1
गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातो की कुल आराजी
राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल
दरामद किया जावे।

निज.......... निल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.

.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी

सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...3.6.2025...को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया